



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276
ईमेल <dc@nsez.gov.in>: वेबसाइट: www.nsez.gov.in

फा० सं० 10/06/2022-SEZ/

दिनांक: 07/08/2024

(ई मेल के माध्यम से)

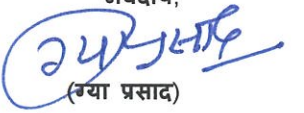
सेवा में,

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002.
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लॉट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर- 24, नोएडा।
5. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं 01, नॉलेज पार्क- 4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, कालिन्दी कुञ्ज, जी टी रोड, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता।

विषय: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 01/08/2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 01/08/2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
उप विकास आयुक्त

प्रतिनिधि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
3. सम्बंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी।

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 01.08.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)।
 - ii. श्री नवीन कर्णवाल, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा
 - iii. श्री मयंक, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा।
 - iv. श्री जगदीश चंदर, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय डीजीएफटी (DGFT), सीएलए, नई दिल्ली।
 - v. श्री विशम्भर झा, आयकर अधिकारी, नोएडा।
- इसके अलावा, (i). श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी (ii) श्री गया प्रसाद, सहायक विकास आयुक्त; (iii) और; श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त; अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
 - प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

मद संख्या 1. दिनांक 04.04.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि 04.07.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 04.07.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2. नई इकाई की स्थापना हेतु प्रस्ताव:

2.1: मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।

2.1.1 मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला- बुलंदशहर (यू.पी.) में अर्शिया नॉर्डन एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मल्टी सेक्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें "भंडारण, लेबलिंग के साथ या बिना व्यापार, बिना किसी प्रक्रिया के पैकिंग और री-पैकिंग, आयात और निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' और 'निषिद्ध' को छोड़कर प्रस्तावित वस्तुओं के लिए पूरी तरह से नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन किट की असेंबली" करना शामिल था।

सुरेंद्र मलिक

आवेदक ने 126 एचएस कोड के साथ वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत की थी। आवेदक ने पांच साल की अवधि में 857.12 लाख रुपये के निर्यात और 857.12 लाख रुपये के संचयी निवल विदेशी मुद्रा (NFE) का अनुमान लगाया था। आवेदक ने आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए 0.90 लाख रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया था। आवेदक ने 0.90 लाख रुपये का स्वदेशी कच्चा माल और 80.00 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं का भी प्रस्ताव रखा था। आवेदक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में 464.51 वर्ग मीटर (5000 वर्ग फीट) की जगह के लिए विकासक द्वारा जारी सहमति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की थी, जिसे पत्र दिनांक 0.2024 के तहत जारी किया गया था।

2.1.1. मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री राकेश त्रिखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.1.3. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत गतिविधियों यानी "भंडारण, लेबलिंग के साथ या उसके बिना व्यापार, बिना किसी प्रक्रिया के पैकिंग और री-पैकिंग, पूरी तरह से नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन किट की असेंबली" करने के लिए इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह निम्नलिखित एचएस कोड के तहत माल के संबंध में होगा, जिसमें आयात और निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' और 'निषिद्ध' शामिल नहीं हैं: -

एचएस कोड:- 2202, 2209, 2714, 2715, 2934, 3210, 3814, 3822, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3917, 3919, 3921, 4008, 4011, 4013, 4014, 5208, 5209, 5210, 5211, 5306, 5407, 5408, 5911, 7004, 7210, 7211, 7212, 7312, 7323, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7502, 7505, 7506, 7507, 7601, 7604, 7606, 7607, 7608, 7609, 7901, 7904, 7905, 8204, 8413, 8471, 8473, 8503, 8507, 8508, 8510, 8512, 8513, 8515, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8532, 8533, 8534, 8537, 8543, 8544, 9026, 9027, 9405.

2.1.4 यह स्वीकृति सुश्री कशिश त्रिखा के आवासीय पते को उनके आधार कार्ड में उल्लिखित पते के अनुसार सुधारने के अधीन है। स्वीकृति निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

- i. विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" वस्तुओं की अनुमति नहीं होगी।
- ii. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार सख्ती से होगा।
- iii. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधान के अनुसार सभी लेन-देन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- iv. समय-समय पर जारी विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. इकाई को आयात/निर्यात के लिए संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और डीजीएफटी की आयात नीति सहित प्रासंगिक प्राधिकरणों से आवश्यक 'अनापति प्रमाण पत्र (NOC)' प्राप्त करनी होगी।

सुरेंद्र मलिक

मद संख्या 3. इकाई के क्षेत्र विस्तार का प्रस्ताव:**3.1: मेसर्स ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-II)।**

3.1.1. मेसर्स ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के एसोसिएट डायरेक्टर श्री हरप्रीत सिंह और अधिकृत प्रतिनिधि श्री तेजस्वी आनंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया।

3.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें 'टावर-ए की तीसरी मंजिल पर 32003 वर्ग फीट क्षेत्र' और संशोधित प्रक्षेपणों को जोड़कर क्षेत्र विस्तार करने का प्रस्ताव है, जैसा कि नीचे दिया गया है। यह ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में प्लॉट नंबर 07, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है:-

विवरण (पाँच वर्ष के लिए)	मौजूदा स्वीकृत अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात	124000.00	190638.53
विदेशी मुद्रा व्यय	7223.55	7481.70
शुद्ध विदेशी मुद्रा आय	116776.45	183156.83
आयातित पूंजीगत सामान	2394.00	2062.11
स्वदेशी पूंजीगत सामान	7588.00	8153.20
आयातित इनपुट सेवाएँ	2210.00	3087.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएँ	65479.00	73179.00

3.1.3. यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के अधीन है:-

- इकाई का कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 123586 वर्ग फीट है, जबकि इकाई ने 123516 वर्ग फीट का उल्लेख किया है।
- संशोधित अनुमानों के विदेशी मुद्रा व्यय के विवरण में, आयातित पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य 1189.72 लाख रुपये दर्शाया गया है, जबकि अन्य तालिका में, आयातित पूंजीगत वस्तुओं का संशोधित अनुमान 2062.11 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है। इसे स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
- इनपुट सेवाओं का नामकरण 'व्यावसायिक परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टा सेवाएं- लैपटॉप' और 'व्यावसायिक परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टा सेवाएं- प्रिंटर', अनुमोदित इनपुट सेवाओं के अनुसार नहीं है, जो कि 'पट्टा पर खरीदी गई व्यावसायिक परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टा सेवाएं' है।

मद संख्या 4. इकाई के क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव:**4.1: मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।**

सुरेंद्र मलिक

4.1.1 मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री धर्म युधिष्ठिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के '4वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 5 में 22111 वर्ग फीट क्षेत्र' को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है। इकाई हटाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या 5. इकाई के एलओए में मदों को शामिल करने का प्रस्ताव:

5.1. मेसर्स होराइजन ट्रेडलिंक्स:

5.1.2. मेसर्स होराइजन ट्रेडलिंक्स के पार्टनर श्री हरमेश अरोड़ा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

5.1.3. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, खुर्जा जिला-बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मल्टी सेक्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित अपनी इकाई मेसर्स होराइजन ट्रेडलिंक्स के दिनांक 25.06.2024 के एलओए में निम्नलिखित एचएस कोड को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी: -

एचएस कोड:-3406, 3919, 3923, 3924, 3926, 4016, 5606, 6001, 6006, 6702, 6911, 7013, 7314, 7601, 8205, 8210, 8211, 8214, 8302, 8306, 8523, 8541, 8542, 8708, 9105, 9405.

5.1.4. अनुमोदन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

- i. विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध / प्रतिबंधित" माल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार सख्ती से होगा।
- iii. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधान के अनुसार सभी लेन-देन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- iv. समय-समय पर जारी डीजीएफटी अधिसूचनाओं / सार्वजनिक सूचना / निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. इकाई को आयात / निर्यात के लिए संबंधित केंद्रीय / राज्य मंत्रालयों / विभागों और डीजीएफटी की आयात नीति सहित प्रासंगिक प्राधिकरणों से आवश्यक 'अनापति प्रमाण पत्र (NOC)' प्राप्त करना होगा।

सुरेंद्र मलिक

मद संख्या 6: भारतीय रुपये में भुगतान के बदले डीटीए बिक्री की अनुमति का अनुरोध:-

6.1. मेसर्स वर्वसेमी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड।

6.1.1. मेसर्स वर्वसेमी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री राकेश मलिक और सीटीओ श्री प्रताप नारायण सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि एकीकृत परिपथों (आईसी) के डिजाइन और आपूर्ति के लिए उनका इसरो के साथ दीर्घकालिक समझौता है।

6.1.2 समिति ने पाया कि निर्देश संख्या 52 दिनांक 20.04.2010 के अनुसार, वाणिज्य विभाग (DOC) ने स्पष्ट किया था कि आईटी/आईटीईएस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल हैं। इसलिए, हार्डवेयर आइटम यानी एकीकृत परिपथों (आईसी) की आपूर्ति इकाई के अधिकृत संचालन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा, यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना के लिए इसरो को आपूर्ति है। इसके अलावा इसरो के साथ समझौता स्पष्ट करता है कि यह सेवा की आपूर्ति नहीं है।

6.1.3. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और व्यापार मॉडल तथा इसरो को प्रौद्योगिकी की स्वदेशी आपूर्ति को ध्यान में रखा जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसलिए उचित विचार-विमर्श के बाद, इसने इकाई को इन एकीकृत परिपथों (आईसी) और संबंधित उत्पादों को इसरो को भारतीय रुपये में भुगतान के बदले में आपूर्ति करने की अनुमति दी, जो लागू करों/शुल्कों के भुगतान के अधीन है। हालांकि, इसरो को भारतीय रुपये में की गई आपूर्ति को निवल विदेशी मुद्रा (NFE) के लिए नहीं गिना जाएगा। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) बनाए रखेगी।

मद संख्या 7 निदेशक के परिवर्तन की सूचना:-

7.1. मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड

7.1.1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के निदेशकों में हुए परिवर्तनों पर ध्यान दिया, जैसा कि नीचे दिया गया है। यह नोएडा (उत्तर प्रदेश) के सेक्टर-135 में सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) के सेक्टर-157 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित इसकी दो इकाइयों के संबंध में है। इसके अलावा, यह निर्देश संख्या 109 के अनुसार है।

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री एन. चन्द्रशेखरन	1. श्री एन. चन्द्रशेखरन
2. श्री के. कृतिवासन	2. श्री के. कृतिवासन
3. श्री ओ.पी. भट्ट	3. श्री ओ.पी. भट्ट
4. श्री एन. गणपति सुब्रमण्यम	4. श्री एन. गणपति सुब्रमण्यम
5. सुश्री आरती सुब्रमण्यम	5. सुश्री आरती सुब्रमण्यम
6. डॉ. प्रदीप कुमार खोसला	6. डॉ. प्रदीप कुमार खोसला

सुरेश मलिक

7. सुश्री हैने बिरगिट ब्रिनबजर्ग सोरेनसेन	7. सुश्री हैने बिरगिट ब्रिनबजर्ग सोरेनसेन
8. श्री केकी मीनू मिस्त्री	8. श्री केकी मीनू मिस्त्री
9. श्री डेनियल ब्लूजेस कैलाहन	9. श्री अल-नूर रामजी

मद संख्या 8. प्राधिकृत कार्यों के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव:-

8.1: मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, विकासक

8.1.1 मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक श्री एल डी शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

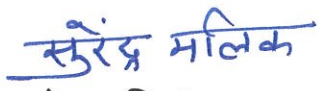
8.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट संख्या 7, सेक्टर-144 नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत परिचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:-

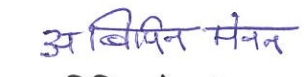
क्रमांक	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (Rs. लाख रुपये में)
i.	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	115.91
ii.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल (Network) आदि शामिल हैं	04	56.13
iii.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	46.10
vi.	छिड़काव, आग और धूम संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	24.89
V.	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	18.50
VI.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल निजी उपयोग के लिए।	23	65.00
VII.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	7.00
		कुल:	333.53

सुरेंद्र मलिक

8.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-144 नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:-

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(सुरेन्द्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त